



F-07-08  
F-07-11

**सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र**  
**CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION**

**IS/ISO: 9001:2008**

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन  
DEFENCE R&D ORGANISATION  
भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय  
GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF DEFENCE  
मारत्तहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलूरु -56 0 037  
MARATHAHALLI COLONY P.O.  
BENGALURU - 560 037

**वर्ग अनुमोदन सं.673 का नवीकरण सहित संशोधन**  
**Amendment cum Renewal of Type Approval No. 673**

**मद/For Item: (केएपीटीओएन®)पोलिमाईड वायर्स और केबल्स**  
**“(KAPTON®) Polyimide Wires & Cables”**

यह घोषित किया जाता है कि मेसर्स सांघवी एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड, ललित वेयरहाउस के पीछे, नरोल-सर्खेज हाइवे, नरोल, अहमदाबाद- 382 405, द्वारा अभिकल्पित, विकसित तथा उत्पादित “(केएपीटीओएन®) पोलिमाईड वायर्स और केबल्स” को संदर्भ सं. एरो/आरडी-132/106/4/1, दिनांक 14 जनवरी 1993 द्वारा वर्ग अनुमोदन सं. 673 जारी किया गया था। तदुपरांत संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए-673/5आर, दिनांक 07 अगस्त 2012 द्वारा 30 जून 2017 तक नवीकरण जारी किया गया था।

*This is to state that the “(KAPTON®) Polyimide Wires & Cables” designed, developed and manufactured by M/s Sanghvi Aerospace Private Limited, B/h, Lalit Warehouse, Narol-Sarkhej Highway, NAROL, Ahmedabad-382 405, has been issued with Type Approval No. 673 vide certificate Ref. No. AERO/RD-132/106/4/1 dated 14<sup>th</sup> January 1993. Subsequently it was renewed upto 30<sup>th</sup> June 2017 vide certificate Ref. No. CEMILAC/5070/TA-673/5R, dated: 07<sup>th</sup> August 2012.*

- यह प्रमाणित किया जाता है कि इस वर्ग अनुमोदन का नवीकरण 01 नवंबर 2017 से संतोषजनक निष्पादन प्रतिपुष्टि के आधार पर किया जाता है तथा 31 अक्टूबर 2022 तक वैध है बशर्ते इसे स्थगित, निरस्त या रद्द नहीं किया जाता। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के तीन (03) महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक, उत्पादित मात्रा, अगर कोई अस्वीकरण है तो उसे और उसके कारण को सम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ आर.सी.एम.ए (वायुयान), सेमिलैक, मारत्तहल्ली पी.ओ, बेंगलूरु- 560 037, से अनुरोध करना होगा।



*This is to certify that this Type Approval is hereby renewed w.e.f. 01<sup>st</sup> November 2017 based on the satisfactory performance feedback and is valid up to 31<sup>st</sup> October 2022 unless otherwise suspended, cancelled or revoked. For subsequent renewal, the vendor shall request RCMA (Aircraft), CEMILAC, Marathahalli P.O., Bengaluru-560 037, three (03) months before the expiry of Type Approval, with all relevant documents including performance feedback, quantity produced & rejections, if any, and its cause.*

3. संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए-673, दिनांक 14 जनवरी 1993 द्वारा जारी मूल वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र के अनुच्छेद पाँच में निम्नलिखित संशोधन लागू होगा।

*The Para five of original Type Approval Certificate vide Reference No.: CEMILAC/5070/TA-673, Dated: 14<sup>th</sup> January 1993, will be Amended as stated herewith.*

“[अगर टाइप रिकॉर्ड में इंगित एसओपी के अनुसार निष्पादन में कोई परिवर्तन करना हो तो सेना उडनयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र (सेमिलैक), बेंगलूरु की पूर्व सहमति लेनी होगी। यह वर्ग अनुमोदन किसी अन्य अभिकरण को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।

*“[Prior concurrence of Centre for Military Airworthiness & Certification (CEMILAC), Bengaluru – 560 037, will have to be obtained to adopt any changes in the SOP and in the declared performance indicated in the Type Record. The Type Approval is not at all transferrable to any other agency]”.*

4. वर्ग अनुमोदन पत्र में अनुबद्ध अन्य सभी शर्तें वही रहेंगे।

*All the other terms and conditions stipulated in the Type Approval Certificate remain unaltered.*

सं./No. : सेमिलैक/CEMILAC/5070/टी.ए/TA-673/6R

दिनांक/Date: 25 November 2017

फैक्स सं./Fax No: 080-25230856

  
20/11/17

  
पी. जयपाल / P.JAYAPAL  
मुख्य कार्यपालक(उडनयोग्यता)  
Chief Executive (Airworthiness)